न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिह यादव, आर.ए.एस

वाद पत्र संख्या 113/2021

उनवान

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झरिण्डा, ग्राम पंचायत मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर राज. जरिए प्रधानाचार्य दौलतसिंह तंवर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झरिण्डा, ग्राम पंचायत मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

....वादी.

बनाम

1. महावीर सिंह उर्फ महावीर प्रसाद पुत्र स्व. हनुमान सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी झरिण्डा, ग्राम पंचायत मोकलवास, तहसील नीमकाथाना।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांकः—**

उपस्थित :— 1. श्री राजेन्द्र सिंह तंवर अधिवक्ता — वादी

संक्षेप में दावा वादी इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 945 रकबा 0.38 है. जो राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन स्कूल दर्ज है। लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/3 व 1/15, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम हिस्सा 1/15, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम हिस्सा 1/15, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम हिस्सा 1/15, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम हिस्सा व लाड कंवर पत्नी लादूसिंह के नाम हिस्सा 1/3 दर्ज है। उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 712 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थे जिनके नये सैटलमेंट में नये़ खसरा नम्बर 945 दर्ज हो गये। भूमि खसरा नम्बर 712 तन ग्राम झरिण्डा पटवार हल्का मोकलवास तहसील नीमकथाना को खातेदार रिसाल कंवर पत्नी हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासीा ढाणी बारिवाली तन झरिण्डा तहसील नीमकाथाना द्वारा जरिये दान पत्र [illegible]5.12.2004 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झरिण्डा तहसील नीमकाथाना को दान कर दिया व उक्त दान की गयी भूमि बाबत एक लिखावट उक्त रिसाल कंवर के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 01.01.2013 को राजस्व ग्राम झरिण्डा के मौजीज व्यक्तियों की मौजूदगी में लिखकर वादी/विद्यालय को दे दी व उपरोक्त दान पत्र व लिखावट के अनुसार दान की गयी भूमि विद्यालय की भूमि है। राजस्थान सरकार द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:43:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (F.T.)

क्रमोनत किया गया व अब उक्त विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झरिण्डा हो गया। लेकिन अभी तक उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व लाड कंवर पत्नी लादूसिंह के नाम से दर्ज है, लेकिन अभी विरासत का नामान्तरकरण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम से नहीं खुला है। उक्त विद्यालय की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। विद्यालय ही एकमात्र मालिक काबिज है। भूमि की किस्म भी गैर मुमकिन स्कूल दर्ज है। प्रतिवादीगण को विद्यालय की भूमि खसरा नम्बर 945 रकबा 0.38 हैक्टेयर को राजस्व रिकॉर्ड में विद्यालय के नाम से दर्ज करवाने के लिए कई बार कहा तो पहले तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 आश्वासन देते रहे कि उक्त भूमि हम विद्यालय को दान दे चुके है। हम उक्त भूमि विद्यालय के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में करवा देंगे। लेकिन दिनांक 09.10.2021 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में विद्यालय के नाम करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये कि हमारे नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि हम विद्यालय के नाम से नहीं करवायेंगे। यही वाद कारण पैदा होकर उक्त दुरूस्ती का वाद पत्र पेश करना पड़ा। अतः वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावें प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्ध फरमाया जावें कि वादी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें।

वादी का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी ने बतौर साक्ष्य सह खातेदारों का शपथ पत्र पेश किया। बहस वकील वादी सुनी गई।

दौराने बहस वकील वादी से वादपत्र के कथनों का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम झरिण्डा खसरा नम्बर 945 रकबा 0.38 हैक्टेयर पुराने खसरा नम्बर 712 किस्म गै.मु. स्कूल स्थित ग्राम झरिण्डा पटवार हल्का मोकलवास तहसील नीमकाथाना को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 आश्वासन के बावजूद भी आदिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में विद्यालय के नाम नही होने से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झरिण्डा के नाम करा लेने का अधिकारी है। सहखातेदारों का भी शपथ पत्र पेश किया है। मेरा दावा पूर्णत्या साबित है। अतः दावा डिक्री किया जाकर एवं विवादित आराजी में वादी/विद्यालय के नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:43:21 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेज एवं शपथ पत्र सहखातेदारों का अवलोकन किया गया।

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम झरिण्डा पटवार हल्का मोकलवास तहसील नीमकाथाना के खसरा नम्बर 945 रकबा 0.38 हैक्टेयर पुराने खसरा नम्बर 712 किश्म गै.मु. स्कूल प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम दर्ज है जो कि दान पत्र दिनांक 15.12.2004 एवं लिखावट दिनांक 01.01.2013 के आधार पर भूमि विद्यालय की है। जिस पर राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालय के लिए समय समय पर धन राशि स्वीकृत कर कक्षाकक्ष व अन्य निर्माण कार्य करवाया जाता रहा है। उक्त विद्यालय की भूमि खसरा नम्बर 945 रकबा 0.38 हैक्टेयर तन झरिण्डा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झरिण्डा के अलावा अन्य किसी का कोई लेना देना व वास्ता नहीं है। अतः प्रस्तुत रिकार्ड एवं दस्तावेजात से दावा वादी पूर्णत्या साबित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम झरिण्डा पटवार हल्का मोकलवास तहसील नीमकाथाना के भूमि खसरा नम्बर 945 रकबा 0.38 हैक्टेयर किश्म गै.मु. स्कूल स्थित ग्राम झरिण्डा पटवार हल्का मोकलवास तहसील नीमकथाना को वादी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झरिण्डा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो तथा तद्वनुसार पर्चा डिक्री मुर्तीव हों।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:43:21 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना
व इजलास **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झरिण्डा ग्राम पंचायत मोकलवास तहसील नीम का थाना जरिए प्रधानाचार्य दौलतसिंह तंवर रा0उ0मा0 विद्यालय झरिण्डा तहसील नीम का थाना जिला सीकर।

–वादी–

बनाम

1. महावीर सिंह उर्फ महावीर प्रसाद पुत्र स्व0 हनुमान सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी झरिण्डा, ग्राम पंचायत मोकलवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण–

मुकदमा नम्बर– 113/2021
दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना व हाजरी श्री राजेन्द्र सिंह तंवर एडवोकेट वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम झरिण्डा पटवार हल्का मोकलवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 945 कुल किता 1 कुल रकबा 0.38 हैक्टेयर वादी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झरिण्डा तहसील नीमकाथाना को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हों।

निज................×......................मुबलिग...................×........................बाबत.................×......................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह......................×.....................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक......................×.............................को अदा करें। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **दिनांक 04 माह 12 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

(मुहर: सहायक कलक्टर (F.T.) नीमकाथाना (सीकर))

दस्तखत
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना, सीकर

(मुहर: सहायक कलक्टर (F.T.) नीमकाथाना (सीकर))

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:43:21 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।